2013/0006

न्यायालय जिला कलक्टर,बाडमेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2013

अपीलांट्स
1.पदमा पुत्र वीरा
2.मेहरी पुत्र वीरा
3.गुणेशा पुत्र शेरा
4.जसा पुत्र शेरा
5.सरूपा पुत्र शेरा
6.रामा पुत्र शेरा
जाति जाट निवासी खारोड़ी
तहसील,धोरीमन्ना

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.केसाराम पुत्र हुकमा
2.प्रभु पुत्र हुकमा
3.नगा पुत्र हुकमा
जाति जाट निवासी खारोडी
तहसील धोरीमन्ना
4.तहसीलदार,गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.2013 द्वारा तहसीलदार,गुड़ामालानी

उपस्थितः–1.श्री श्यामलाल सिंगल अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 01 से 03 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय दिनांक 17.05.2017

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 30 रकबा 36–4 बीघा,खसरा नम्बर 67 रकबा 01–02 बीघा,खसरा नम्बर 68 रकबा 01–01 बीघा,खसरा नम्बर 69 रकबा 02 विस्वा,खसरा नम्बर 70 रकबा 04–04 बीघा,खसरा नम्बर 71 रकबा 02 विस्वा,खसरा नम्बर 72 रकबा 01 बीघा एंव खसरा नम्बर 73 रकबा 482 बीघा मौजा खारोडी में आये हुए है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2013 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का विभाजन स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी आधनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील, अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पक्षकारो के मौजा खारोडी में कुल 08 खसरा नम्बर है। जिसमें से काश्त योग्य खसरा नम्बर 30 रकबा 36–04 बीघा व ए खसरा नम्बर 73 रकबा 482 बीघा है जिनके बंटवाड़े का ही विवाद है शेष खसरा नम्बर गैर मुमकिन ढाणी,बेरा,टांका आगोर व लौटा वगेरा है। इन खसरों में अपीलांट पदमा का 1/4 हिस्सा,मेहरी का 1/4 व गणेश,जसा ,सरूपा व रामा पिसरान शेरा का 1/4 हिस्सा है। इन दोनो खेतो में 3/4 हिस्सा अपीलांट का है व शेष 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंटस का है। रिकॉर्ड में जिस प्रकार के हिस्से है, उन हिस्सो के अनुसार अपीलांट पदमा को खेत खसरा नम्बर 30 में 1/4 हिस्से में 9 बीघा 01 बिस्वा भूमि आती है जबकि उसे इस खसरा में 14–01बीघा भूमि दी गई है। खसरा नम्बर 73 में 1/4 हिस्सा में 120 बीघा 10 बिस्वा भूमि आती है जबकि उसे इस खसरा में 111 बीघा भूमि दी गई है। अपीलांट मेहरी 1/4 हिस्से का भागीदार है जिसे उपजाऊ खेत खसरा नम्बर 30 में कोई भूमि नहीं दी गई है व खसरा नम्बर 73 में 123–14 बीघा दी गई है, जबकि उसके हिस्से में 120–10 बीघा भूमि आती है। इसी प्रकार अपीलांट गणेशा,जसा,रूपा रामा के 1/4 हिस्से में खसरा नम्बर 30 में 15–18 बीघा भूमि दी गई। जबकि उसके हिस्से में केवल 09–01 बीघा भूमि आती है, इन्ही अपीलांट गणेश वगेरा का खसरा नम्बर 73 में 108–16 बीघा भूमि दीगई है जबकि इनके हिस्से में 120–10 बीघा भूमि आती है। रेस्पोडेंट केसाराम,प्रभुराम,नगाराम के 1/4 हिस्से के हकदार होने से खसरा नम्बर 73 में लग्रभग पूरी जमीन दी ई परन्तु खसरा नम्बर 30 में केवल 6–05 बीघा भूमि दी गई है सभी हिस्सेदारो को अपने अपने हिस्से में जितनी भूमि आती है लगभग उतनी ही भूमि पर कब्जा है ,मगर खेत का विभाजन वास्तविक कब्जे के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 73 के पूर्वी भाग में नहर निकलती है,जिसका लाभ सभी हिस्सेदारो को मिलना चाहिये। मौके पर खसरा नम्बर 73 में धोरा धरती ज्यादा है जिसका भी पक्षकारो मे बराबर बंटवाडा होना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। बंटवाड़े का जो नक्शा बनायाा गया है वह मौके के अनुसार पक्षकारो के हिस्से में आने वाली भूमि व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नहीं किया गया। इससे विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। इसी तरह की मौका रिपोर्ट में भी भिन्नता बताई है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव के तस्दीक होने के पश्चात् पक्षकारान के अपने अपने भूखण्ड पर नाप कर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चिन्हित न करने के कारण अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को विवाद की स्थिति पैदा होने पर व विभाजन आदेश की हल्का पटवारी से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 24.07.2013 को हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। इसलिये अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर खसरा नम्बर 73 व 30 मे पक्षकारान के हिस्से एंव भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावे।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व अन्य सह खातेदारों–उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा खारोडी के सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 08.02.2012 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की मौजूदगी में तैयार कर रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से हुआ है। जिसे तहसीलदार गुड़ामालानी ने समस्त काश्तकारों की सहमति एंव उनकी उपस्थिति में बाद जॉच सही रूप से विभाजन विलेख को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। उन्होने तर्क दिया कि मौका रिपोर्ट के नक्शा में कुछ भिन्नता बताई गई है। इसलिये प्रकरण वास्तविक कब्जे एंव हिस्से अनुसार रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हे कोई आपति नही है।

5. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख एंव मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, गुड़ामालानी द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 09.02.2013 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा खारोडी के खसरा नम्बर 30 रकबा 36–4 बीघा,खसरा नम्बर 67 रकबा 01–02 बीघा,खसरा नम्बर 68 रकबा 01–01 बीघा,खसरा नम्बर 69 रकबा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 04–04 बीघा,खसरा नम्बर 71 रकबा 02 विस्वा,खसरा नम्बर 72 रकबा 01 बीघा एंव खसरा नम्बर 73 रकबा 482 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में हिस्से एंव कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के हिस्से एंव भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। इस प्रकार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त विभाजन नहीं हुआ

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है और राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना नहीं की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2013 को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार,धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार एंव राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(शिवप्रसाद एस.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर